न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01 / 2019
प्रविष्टि दिनांक 08.04.2019

जरिये रामावतार, प्रवर्तन निरीक्षक देवली जिला टोंक

—— प्रार्थी

बनाम

उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सेवा सहकारी समिति देवडावास तहसील देवली

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे जप्त शुदा 112 लीटर नीले रंग का केरोसीन तेल मय लोहे का ड्रम को राजसात करने बाबत

उपस्थितिः—
1— प्रर्वतन निरीक्षक पेरोकार सरकार —प्रार्थी की ओर से
2. श्री सेतराम चौधरी,अभिभाषक — अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 12.04.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है प्रवर्तन निरीक्षक देवली द्वारा दिनांक 29.03.2019 को उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम सेवा सहकारी समिति देवडावास, तहसील देवली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मुताबिक स्टॉक रजिस्टर एवं पोस मशीन कोड संख्या 2891 के अनुसार वक्त जॉच केरोसीन का स्टॉक शुन्य दर्ज पाया गया। भौतिक सत्यापन में उचित मूल्य दुकान पर वक्त निरीक्षण 112 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। इस प्रकार दर्ज स्टॉक से 112 लीटर अधिक पाया गया। अतः जप्त शुदा 112 लीटर केरोसीन का अन्तरिम निरस्तारण एंव राजसात करने हेतु यह प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया दिनांक 29.03.2019 को विपक्षी की दुकान का आवेदक द्वारा निरीक्षण किया गया तथा उक्त निरीक्षण में स्टॉक रजिस्टर व

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पोश मशीन में केरोसीन की मात्रा शून्य पाई गई, जबकि मौके पर 112 लीटर केरोसीन मिला, जिसके सम्बन्ध में उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि जिस 112 लीटर केरोसीन के संबंध में यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह केरोसीन दिनांक 29.03.2019 को वितरित किये गये उपभोक्ताओं का था। इस दिनांक को बहुत सारे उपभोक्ता चीनी व केरोसीन लेने आये थे, जिनमें से 44 उपभोक्ता अपने साथ केरोसीन लेने के लिए बर्तन या पीपी नहीं ला पाये थे तथा उक्त सभी उपभोक्ता उस दिनांक को चीनी तो अपने साथ ले गये थे तथा केरोसीन के संबंध में यह कहा कि हम घर से बर्तन ला रहे है कुछ ही देर में इसे ले जायेंगे, इसलिए उक्त केरोसीन पड़ा था तथा जिन उपभोक्ताओं को उक्त केरोसीन वितरित किया गया, उनका सारा विवरण स्टॉक रजिस्टर व पोश मशीन में वर्णित था, परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक ने इस संबंध में विपक्षी की जांच के दौरान एक नहीं सुनी तथा मनमाने रूप से उक्त तथ्य अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित नही कर यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिन उपभोक्ताओं को उक्त केरोसीन वितरित किया गया तथा जो अपने साथ बर्तन नहीं ला पाये थे, उनकी सूची जवाब आवेदन के साथ सलंग्न है, जिसमें उन उपभोक्ताओं के नाम, राशन कार्ड नम्बर दिये गये केरोसीन की मात्र तथा उनके हस्ताक्षर उपलब्ध है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस केरोसीन के संबंध में यह आवेदन पेश किया है वह केरोसीन बर्तन नहीं ला पाने के कारण कुछ समय के लिए दुकान पर पड़ा था, जो उपभोक्ताओं का था, जिसका वितरण किया जा चुका था, परन्तु बर्तन के अभाव में नहीं ले जा सकें। विपक्षी ने केरोसीन का कोई गबन या दुरूपयोग नहीं किया, जिस समय मौका रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, उस समय इस वास्तविकता को विपक्षी ने आवेदक को बता दिया था तथा कहा था कि कुछ ही समय में वह व्यक्ति अभी आ जायेगें, परन्तु आवेदक ने विपक्षी की एक नहीं सुनी तथा बिना विपक्षी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये उक्त कार्यवाही की है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जावे तथा गलत रूप से जप्त किये गये 112 लीटर केरोसीन को जवाबदाता विपक्षी को सुपुर्द किया जाये।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक देवली द्वारा दिनांक 29.03.2019 को उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम सेवा सहकारी समिति देवडावास, तहसील देवली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मुताबिक स्टॉक रजिस्टर एवं पोस मशीन कोड संख्या 2891 के अनुसार वक्त जॉच केरोसीन का स्टॉक शुन्य दर्ज पाया गया। भौतिक सत्यापन में उचित मूल्य दुकान पर वक्त निरीक्षण 112 लीटर नीला केरोसीन पाया गया। सूंघने व देखने पर खाद्य सुरक्षा के तहत उचित मूल्य दुकान पर वितरण करने वाला नीला केरोसीन पाया गया। इस प्रकार दर्ज स्टॉक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

से 112 लीटर अधिक पाया गया। उक्त कृत्य कर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र संख्या 5,17 (सी), 18 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण 112 लीटर नीला केरोसीन तेल मय लोहे का ड्रम जब्त सरकार कर श्री रामदेव गुर्जर देवडावास, तहसील देवली की सुपुर्दगी में सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जहॉ पर भी राज्य सरकर मांगे प्रस्तुत करें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को स्वीकार कर जब्तशुदा 112 लीटर नीला केरोसीन मय लोहे के ड्रम को राजसात करना न्यायोचित है।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब को ही बहस माना जावे।

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक देवली द्वारा दिनांक 29.03.2019 को उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम सेवा सहकारी समिति देवडावास, तहसील देवली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मुताबिक स्टॉक रजिस्टर एवं पोस मशीन कोड संख्या 2891 के अनुसार केरोसीन का स्टॉक शून्य दर्ज पाया गया। भौतिक सत्यापन में उचित मूल्य दुकान पर सूंघने व देखने पर खाद्य सुरक्षा के तहत वितरण करने वाला 112 लीटर नीला केरोसीन दर्ज स्टॉक से अधिक पाया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि उपभोक्ताओं को उक्त केरोसीन वितरित किया गया था,लेकिन 44 उपभोक्ताओ (जवाब के साथ संलग्न सूचि अनुसार) द्वारा अपने साथ बर्तन नही लाने के अभाव में उक्त केरोसीन अपने साथ नहीं ले जा सके, परन्तु उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सेवा सहकारी समिति देवडावास द्वारा वक्त निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक देवली के समक्ष किसी भी प्रकार की सूचि उपलब्ध नही करवाई गई है।

दिनांक 29.03.2019 को वक्त जॉच मोके पर 112 लीटर केरोसीन पाये जाने से स्पष्ट होता है कि उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सेवा सहकारी समिति देवडावास द्वारा उपभोक्ताओं को केरोसीन उपलब्ध नहीं करवाया गया है और उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर निरीक्षण करने के बाद कूटरचित इन्द्राज किया जाना प्रतीत होता है। स्टॉक में निर्धारित मात्रा से अधिक पाये गये 112 लीटर केरोसीन को मौके पर ही जप्त कर उचित मूल्य दुकानदार श्री रामदेव गुर्जर देवडावास को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 112 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी कर डीलर ने राजस्थान खाधान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र संख्या 5,17 (सी) 18 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः जप्त शुदा 112

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

लीटर केरोसीन मय लोहे के ड्रम के साथ नियमानुसार राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्तशुद्वा 112 लीटर केरोसीन मय लोहे के ड्रम के साथ राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोक को निर्देशित किया जाता है कि राजसात किये गये केरोसीन का निस्तारण कर प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष मे जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते